



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)



मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

क्रमांक ए-32012/1/2025-एचआरएम-1/697

दिनांक: 14.07.2025

कार्यालय आदेश

विषय: तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त, ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, निम्नलिखित सहायक भविष्य निधि आयुक्तों को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (ग्रेड वेतन - रु. 6600/-) में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-II के पद पर अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

क्र. सं.	नाम	ईआइडी
1.	कैलाश नाथ	केबी080965094070600
2.	रुदल प्रसाद	आरएफ030872117070400
3.	के वी सुदर्शन राव	एसजी100766047130494

2. तदर्थ पदोन्नति पर, अधिकारी अगले आदेश तक वर्तमान तैनाती स्थान पर यथावत बने रहेंगे। तदर्थ पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। अधिकारी का तैनाती आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

3. पदोन्नति सीलबंद लिफाफे के मामलों के कारण उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ आधार पर होगी, जब तक की सीलबंद लिफाफे के मामलों का निपटारा नहीं हो जाता या ग्रेड में नियमित रिक्तियां उत्पन्न नहीं हो जातीं, जो भी पहले हो। यदि किसी अधिकारी जिसकी सिफारिश सीलबंद लिफाफे में को दोषमुक्त कर दिया जाता है और सीलबंद लिफाफा खोला जाता है और अधिकारी पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाएगी, यदि कोई हो और यदि इस अधिकारी के लिए कोई रिक्ति नहीं है, तो सबसे कनिष्ठ अधिकारी को रिवर्ट कर दिया जाएगा।

4. यह नियुक्ति अन्य सभी पात्र अधिकारियों की वरिष्ठता और नियमित आधार पर पदोन्नति के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी तथा इससे उन्हें न तो नियमित आधार पर पदोन्नति या वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त होगा।
5. उपर्युक्त अधिकारियों की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-II के रूप में कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, संबंधित नियंत्रण कार्यालय द्वारा rc1.hrm@epfindia.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से एचआरएम, मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।
6. उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति विषय-वस्तु से संबंधित विभिन्न न्यायालयीन मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन है।

(केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी)

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-1)

सेवा में,
संबंधित अधिकारी।

प्रतिलिपि: (ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से)

1. माननीय अध्यक्ष, कें.न्यास.बो., क.भ.नि के निजी सचिव।
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
3. केंद्रीय भ.नि आयुक्त के निजी सचिव।
4. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी/अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
5. सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय एवं अंचल/मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रभारी (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.से.प्र.), क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मुख्यालय/ (एनडीसी)।
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखापरीक्षा दल/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।

9. महासचिव, कभनि अधिकारी संघ, लुधियाना।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल।
11. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-1)